



मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 3-1/2006/नियम/चार,

भोपाल, दिनांक 26 जून 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- विभिन्न/विभागों कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत ।

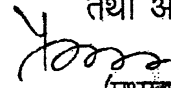
संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24 जून, 2006
एवं एफ 3-1/207/नियम/चार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2007

:-:-:-

विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन का कृपया अवलोकन हो। ज्ञापन दिनांक 26-10-2007 के बिन्दु क्रमांक 2 (1) में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

" किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित कर संबंधित विभागाध्यक्ष वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करेंगे एवं उसके पश्चात् ही आगे की कार्यवाही वे इस ज्ञापन में उल्लेखित निर्देशों के अनुरूप कर सकेंगे। "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रभाकर बर्सोड़)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग